

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/219

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कच्छेड़ा की  
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 383

में मेरा नाम बसराज शं.बन्ना जाट दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम  
बसराम शं.बन्ना जाट है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक- 23/11/2024

(बसराज शं.बन्ना जाट)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम कच्छेड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के  
खाता संख्या 383 में प्रार्थी का नाम बसराज शं.बन्ना जाट दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम बसराम है। जो संशोधित किया  
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

पटवारी बसराज शं.बन्ना जाट

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
पर रिपोर्ट पटवारी बसराज शं.बन्ना जाट व भू.अ.नि. कच्छेड़ा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
ग्राम कच्छेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 383 में प्रार्थी का  
नाम बसराज के बजाय बसराम किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

क्र.सं. 157/22  
10/11/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम कच्छेड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता  
संख्या 383 में दर्ज प्रार्थी का नाम बसराज के स्थान पर बसराम संशोधन के  
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासकीय अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)